(16)

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

उप निदेशक उद्योग।

स्टार्ट–अप नीति के प्रस्तर संख्याः 6.1.1 में महिला उद्यमियों को मासिक प्रोत्साहन भत्ता 2018 में रू0 10.00 हजार के स्थान पर रू0 15.00 हजार तथा प्रस्तर संख्याः 6.1.2 में विपणन सहायता रू0 5.00 लाख के स्थान पर रू0 7.50 लाख दिये जाने के प्राविधान है, परन्तु स्टार्ट–अप नीति– 2018 में महिला उद्यमियों की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी है।

महिला उद्यमी योजना 2015 में महिला उद्यमियों की परिभाषा निम्नानुसार स्पष्ट की गयी है:–

"महिला उद्यमी से आशय ऐसी महिला से है, जिसने स्वयं के स्वामित्व में उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/ स्थापित किया हो। भागेदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी समिति/सहकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य महिलायें होनी आवश्यक हैं।"

उक्तानुसार महिला उद्यमी योजना 2015 में परिभाषित परिभाषा के अनुसार ही स्टार्ट–अप नीति– 2018 के अंतर्गत महिला उद्यमियों को देय प्रोत्साहन हेतु महिला उद्यमी परिभाषित किये जाने का प्रस्ताव है।

कृपया सहमत हों तो प्रस्तुत कार्यालय ज्ञाप का अवलोकन कर हस्ताक्षर करना चाहें।

22/07/21
22/07/21
DDI
22/07

(प्रदीप सिंह)
वरिष्ठ सहायक।

निदेशक उद्योग।

महानिदेशक / आयुक्त उद्योग

23/07/21

Scanned with CamScanner